न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/05

गोपाल आत्मज माधो जाति मीणा निवासी बांझडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

बनाम

1. मोडू आत्मज कजोड जाति मीणा निवासी बांझडली हाल निवासी ओहडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. नन्नू आत्मज कजोड जाति मीणा निवासी बांझडली हाल निवासी ओहडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बांझडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 1.01 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 2 व उनके पिता कजोड के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर वादी सन् 1996 से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा 08 बिस्वा था । उक्त खसरा नम्बर में से वादी द्वारा 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि पूर्व दिशा की प्रतिवादी क्रम 1व 2 तथा उनके पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1996 को क्रय की थी तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त क्रयशुदा भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 184 रकबा 1.09 हैक्टर कायम हुए तथा उक्त खसरा नम्बर 184 रकबा 1.09 हैक्टर के बाद केचमेंट खसरा नम्बर 863 रकबा 1.01 हैक्टर पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने

से वादी को लगान, पिलाई इत्यादि जमा कराने में कठिनाई होती है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह कयशुदा आराजी को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 1.01 हैक्टर वाके ग्राम बांझडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में राजीनामा पेश होने व पूर्व में रेस्पोडेन्ट के पिता की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकृत तथ्य होते हुए भी उक्त वाद खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में कजोड जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता हैं से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादी ने क्रय की थी तब से ही वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बाद तस्दीक शामिल मिसल किया । कजोड जी से वादग्रस्त आराजी जरिये विक्रय पत्र वादी ने क्रय की थी और वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । प्रतिवादीगण क्रम 01 व 2 उनके पिता की मृत्यु के बाद खातेदार बने हैं जबकि अपीलान्ट ने उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के खातेदार बनने से पूर्व ही क्रय की गई है । दिनांक 30.05.1996 को विक्रेता मोडू और नन्नू खातेदार नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और यह कथन किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 1.01 हैक्टर ग्राम बांझडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 व 2 और उनके पिता श्री कजोड जी खातेदार दर्ज थे । वादी सन्

1996 से इस पर काबिज काश्त होकर काश्त कर रहे हैं । कजोड जी को देहान्त हो चुका है। आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा 08 बिस्वा में से 07 बीघा 02 बिस्वा आराजी पूर्व दिशा की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 और उनके पिता कजोड जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1996 से क्रय की थी और क्रयशुदा आराजी 07 बीघा 02 बिस्वा पर काबिज काश्त हैं । सेटलमेंट ने नये खसरा नम्बर 184 रकबा 1.09 हैक्टर कायम किये और केचमेंट के द्वारा नये खसरा नम्बर 863 रकबा 0.01 हैक्टर कायम हुए जिस पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

9. इस दावे में पक्षकारों के एक राजीनामा दिनांक 29.05.2015 का परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया । राजीनामा को परीक्षण न्यायालय ने बाद तस्दीक शामिल मिसल किया है । पत्रावली पर विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– पी–1 संलग्न है, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श – पी– 2 संलग्न है जिसके अनुसार कजोड वल्द नन्दा व मोडूलाल एवं नहनूलाल पिसरान कजोड के खाते में कुल 04 किता की 1.11 हैक्टर आराजी दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति प्रदर्श– पी–3, केचमेंट विभाग के नोटिस की फोटो प्रति प्रदर्श– पी– 4 संलग्न है । मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– पी–5 है । नामान्तरकरण संख्या 31 की फोटो प्रति प्रदर्श– पी–6 संलग्न है जिसके अनुसार कजोड वल्द नन्दा के स्थान पर कजोड वल्द नन्दा, मोडूलाल व नहनूलाल पिसरान कजोड का नाम साबिक खसरा नम्बरान की कुल 05 किता की 47 बीघा भूमि दर्ज करने का आदेश हुआ है । प्रदर्श–पी–7 जमाबन्दी की फोटो प्रति है जिसके अनुसार कजोड वल्द नन्दा, मोडू व नहनू लाल पिसरान कजोड के खाते में हाल खसरा नम्बरान की कुल 04 किता की 1.19 हैक्टर भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2045–48 प्रदर्श पी–8 के अनुसार कजोड वल्द नन्दा के खाते में साबिक खसरा नम्बर की 05 किता की 47 बीघा आराजी दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 54, 55 एवं 56 का नोट अंकित है । विक्रय पत्र कजोड पुत्र नन्दा, मोडू, नन्नू पुत्र कजोड के द्वारा गोपाल वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 108 की रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा आराजी में से 07 बीघा 02 बिस्वा आराजी के लिए निष्पादित किया गया है जो सन् 1996 में उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध हुआ है । पत्रावली पर प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब भी संलग्न है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य में गोपाल के बयान कराये गये है ।

11. पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जमाबन्दी प्रदर्श– 8 में विक्रय पत्र के विक्रेता मोडू और नन्नू का नाम इन्द्राज नहीं होने के आधार पर राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया है । पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 31 की फोटो प्रति प्रदर्श– पी–6 के रूप में संलग्न है परन्तु यह प्रमाणित प्रति नहीं है इस फोटो प्रति के अनुसार सन् 1992 में कजोड के साथ मोडू और नन्नू का नाम बहैसियत खातेदार नाम दर्ज किया गया था परन्तु इसकी प्रमाणित प्रति पेश किया जाना आवश्यक है जो वादी अपीलान्ट के द्वारा पेश नहीं की गई है । इसी प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –3 और भूमि पुनःग्रहण नोटिस सीएडी कोटा की भी फोटो प्रति प्रदर्श– 4 के रूप में संलग्न की गई है जबकि इन दस्तावेजात की भी प्रमाणित प्रति पेश किया जाना आवश्यक है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में वादी अपीलान्ट से वांछित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर नये सिरे निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के मध्य नजर वादी अपीलान्ट से आवश्यक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ प्रापत कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7.2.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा